न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 370 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 370

1. राजाराम पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. दलीप कुमार पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. महावीर पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गोमती देवी पतनी औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
2. विनोद पुत्र औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रसेन पुत्र ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. पुष्पादेवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. संतोष देवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. कमलादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

—— प्रत्यर्थीगण

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2022
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा।
अनवान गोमती देवी आदि बनाम राजाराम आदि प्र0 सं0 170/2015

(2) अपील संख्या 374/2022
आरसीएमएस नं. 2022/374

1. महावीर पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजाराम पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. दलीप कुमार पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मूली उर्फ गोमती देवी पत्नी औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
2. विनोद पुत्र औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रसेन पुत्र ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. पुष्पादेवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. संतोष देवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. कमलादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

—— प्रत्यर्थीगण

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2022

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा।

अनवान महावीर आदि बनाम मूली उर्फ गोमती देवी आदि प्र0 सं0 175/2015

उपस्थितिः—

श्री प्रद्युमन सिंह परमार अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4 ता 7

निर्णय दिनांक 26.5.25

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 गोमती देवी आदि ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 आरटीएक्ट के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि तहसील पीलीबंगा के चक 5 पी.बी.एन के प. नं. 49/328 की 3.795 है0 भूमि वादीया के ससुर व वादीगण सं0 2 ता 7 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता श्री नारायणगिर की भूमि थी जो उनके फौत होने पर विरास्तन उनके 7 वारिसों के नाम ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड हुई। नारायण की दो पुत्रियां ने अपना हिस्सा मौखिक तौर से अपने चारों भाईयों को दे दिया इसकी लिखित नहीं करवाई गई। औमप्रकाश जो वादिया सं0 1 के पति व वादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता थे फौत हो गय। श्री औमप्रकाश की भूमि का विरास्तन नामान्तरण नही करवाया क्योंकि इस भूमि मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादीगण का 1/4 हिस्सा था जो उन्हें प्राप्त होना था। इसलिए वादीगण ने 1/7 विरास्तन नामान्तरण प्रेमा देवी के जीवनकाल में नही करवा गया। श्रीमति प्रेमा देवी की मृत्यु दिनांक 03.03.2014 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण व विमा देवी, गुड्डी देवी से वादीगण ने अपना 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हिस्सा देने हेतु वादीगण को कहते रह परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही करवाया। वादी इन्द्रसेन को प्रतिवादीगण पर शक होने पर लोक अदालत से पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पता चला कि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने श्रीमती प्रेमा देवी के जीवनकाल में ही प्रेमा देवी, विमला देवी, गुड्डी देवी से दस्तबरदारी करवाकर 6/7 हिस्सा का अंकन राजस्व अभिलेख में करवा लिया है। श्री औमप्रकाश का 1/7 हिस्सा दर्ज है जो वादीगण ने दिनांक 20.08.2015 को दर्ज करवाया हैं। इस भूमि में प्रेमा देवी बेवा नारायण गिर, विमला देवी, गुड्डी देवी पुत्रियां नारायण गिर प्रत्येक का बतौर सह खातेदार सह काश्तकार संयुक्त खाते में 1/7 हिस्सा था इनको किसी एक वारिस को छोड़कर अन्य वारिसान के पक्ष में दस्तबरदारी करवाने का कानूनन हक नही था। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धोखा में रखकर विधि विरूद्ध दस्तावेज के आधार पर हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ली है। यह दस्तावेज हम वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है। कानूनन ऐसी दस्तबरदारी से सभी वारिसान को बराबर हक प्राप्त होता हे। वादीगण का प्रश्गनत भूमि में 1/4 हिस्सा का हक बनता है। वादीगण ने वादपत्र में वर्णितानुसार प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने, खाता तकसीम करने एवं रकम राज अलग कायम करने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र व दावा अनुवान महावीर आदि बनाम मूली उर्फ गोमती आदि मुकदमा नं. 175/2015 पेश किया जो आदेश दिनांक 16.08.2016 को दावा 170/2015 के साथ संलग्न किया गया। दावा सं0 175/2015 में वादीगण (दावा संख्या 170/2015 में प्रतिवादीगण) ने कथन कियाकि वादीगण के पिता नारायण गिर पुत्र रावतगिर के नुत्फे से प्रेमा देवी पत्नी नारायण गिर की कोख से कुल 6 संतानें पैदा हुई। वादीगण के नाना के कुल दो वारिस वादीया की माता व दूसरी पुत्री कलावती देवी थी। वादीगण के नाना चुनीराम पुत्र भोजराम के कुल दो वारिस लड़कियां होने के कारण वादीगण के नाना चुनीराम ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपने कुल को चलाने के लिए औमप्रकाश को गोद ले लिया। वादीगण के नाना चुनीराम द्वारा जब हिन्दू विधि संस्कारों को अपनाते हुए मंत्रोचारण सहित गोद लिया तब औमप्रकाश की आयु 2 वर्ष थी। औमप्रकाश का लालन पालन वादीगण के नाना चुनीराम द्वारा पिता बनकर किया गया। औमप्रकाश की शादी में जैसे ने राशन कार्ड, पहचान पत्र व मतदाता सूचियों में औमप्रकाश के पिता का नाम चुनीराम ही दर्ज है। वादीगण के नाना चुनीराम के फौत होने पर औमप्रकाश बतौर दत्तक पुत्र चुनीराम का हिन्दु विधि के अनुसार दाह संस्कार किया गया।

3. चुनीराम के फौत होने के बाद औमप्रकाश को चुनीराम के नाम समस्त चल अचल सम्पति का बेचान कर पीलीबंगा परिवार सहित आकर रहने लगे। औमप्रकाश चतुर एवं चालाक प्रवृति का आदमी था। वादीगण के पिता नारायण गिर के फौत होने का फायदा उठाते हुए औमप्रकाश के पिता नारायण गिर का वारिसनामा ग्रांम पंचायत से जारी करवा लिया जिसमें स्वयं को नारायणगिर का वारिस बताते हुए नारायणगिर की कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल मुताबिक वारिसानामा दर्ज करवा लिया। वादीगण की माता प्रेमा देवी व वादीगण के बहने विमला देवी–गुड्डी देवी ने अपना हक व हिस्सा वादीगण को हक त्याग कर दिया। जिसका अमलदरामद वादीगण के पक्ष में हो चुका है।

प्रश्नगत भूमि वादीगण एवं औमप्रकाश के नाम चक 3.467 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगण का 6/7 हिस्सा व औमप्रकाश का 1/7 हिस्सा रिकार्ड दर्ज है। औमप्रकाश फौत हो चुका है। औमप्रकाश द्वारा गांव पीलीबंगा नारायणगिर की कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा का नामन्तरण दर्ज कर लेने के बाद इसका विरोध किया गया तो गांव के मोतविरान व्यक्तियों व रिश्तेदारों के समक्ष पंचायत में औमप्रकाश द्वारा पिता नारायणगिर की कृषि भूमि में अपना 1/7 हिस्सा नहीं मानते हुए वादीगण के पक्ष में मौखिक रूप से वरवक्त पंचातय के हक त्याग कर दिया था व तहसील हाजा में चलकर अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ने का संकल्प लिया। वर्तमान में औमप्रकाश के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा वादीगण का हक व हिस्सा है। जिस पर वादीगण का कब्जा बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। औमप्रकाश ने जमीन हड़पने की नियत से करवाया अंकन जिसकी भूल औमप्रकाश ने अपने जीवनकाल में पंचायत में स्वीकार की थी तथा औमप्रकाश ने अपने हिस्सा का अंकन वादीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नाम करवाने का संकल्प लिया था किसी कारणवश औमप्रकाश अपने जीवनकाल में 1/7 हिस्सा का अंकन वादीगण के पक्ष में नहीं करवा सके। चालू जमाबंदी में औमप्रकाश के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज होने से वादीगण के हकूक पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। औमप्रकाश का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने औमप्रकाश के नाम 1/7 हिस्सा में वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं औमप्रकाश एवं प्रतिवादीगण गोमती वगैरा के खिलाफ स्थाई व्यादेश जारी करने का अनुतोष मांगा।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादी सं0 170/2015 गोमती देवी बनाम राजाराम को स्वीकार किया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी पत्र व दावा सं0 175/2015 महावीर बनाम मूली देवी आदि को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने उपरोक्त दो अलग अलग अपीलें पेश की हैं। दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने, एक ही भूमि के संबंध होने एवं एक ही निर्णय होने के कारण अपील में इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। वाद के निर्धारण हेतु 8 तनकीयात कायम की ई थी जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 175/2015 को एकजाई कर अपीलाधीन आदेश अविधिक आदेश पारित किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं0 1 व 2 का निर्धारण अविधिक रूप गलत तथ्यों व विधि के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने तनकी निर्धारण में यह तथ्य अंकित किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर लागू नही होती मगर ऐसी कोई नजर ही पेश नहीं हुई है। औमप्रकाश अपने जीवनकाल में अपने नाना चुनीराम के गोद चला गया था ऐसी स्थिति में उसके वारिसों के द्वारा की गई कार्यवाही किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। सहायक कलक्टर पीलीबंगा द्वारा निर्णय पारित कर प्रत्यर्थीगण के हकों का निर्धारण किया जा चुका था जिसको दरकिनार करते हुए तनकी सं0 3 का का निर्धारण प्रत्यर्थीगण के पक्ष में किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। तनकी सं0 4 में खाता विभाजन किये जाने से पूर्व प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री जारी कर मौका पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवाकर विभाजन का अनुतोष प्रदान किया जाना था जबकि इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायलाय ने केवल प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर बिना अधिकारिता के बिना हकों का निर्धारण किये अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये तनकी का निर्धारण किया है। तनकी सं0 4 ता 7 को सिद्ध करने भार अपीलार्थीगण पर था लेकिन अपीलार्थीगण जो कि ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति हैं को तारीख पेशी की सूचना प्रदान नहीं की और इस कारण प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिदावा के आधार पर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित हो गये। जबकि अपीलार्थी के पास पुख्ता साक्ष्य थी जिसका अपीलार्थीगण को लाभ प्राप्त होना था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने अपने जवाबदावे में अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के अनुसार विबंधन का सिद्धान्त लागू होने का कथन करते हुए तनकी का गलत निर्धारण किया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल खारिजी के है। निर्णय व डिक्री के संबंध में अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं हो सकी। प्रत्यर्थीगण द्वारा गुपचुप तरीके से नामान्तरण दर्ज करवा लिया है। अब अपीलार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने हेतु तत्पर है और यह धमकी दी है कि वे कब्जा नहीं होने के बावजूद नामान्तरण के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करेंगे। अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर यह अपील पेशकर दी है। अपील ज्ञान ये अदर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

8. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादपत्र में कथन किया कि तहसील पीलीबंगा के चक 5 पी.बी.एन के प. नं. 49/328 की 3.795 है0 भूमि वादीया के ससुर व वादीगण सं0 2 ता 7 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता श्री नारायणगिर की भूमि थी जो उनके फौत होने पर विरास्तन उनके 7 वारिसों के नाम ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड हुई। नारायण की दो पुत्रियां ने अपना हिस्सा मौखिक तौर से अपने चारों भाईयों को दे दिया। दुर्भाग्यवश औमप्रकाश जो वादिया सं0 1 के पति व वादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता थे फौत हो गये। श्री औमप्रकाश की भूमि का विरास्तन नामान्तरण नही करवाया क्योंकि इस भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा था जो उन्हें प्राप्त होना था। इसलिए वादीगण ने 1/7 विरास्तन नामान्तरण प्रेमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

देवी के जीवनकाल में नही करवा गया। श्रीमति प्रेमा देवी की मृत्यु दिनांक 03.03.2014 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण व विमला देवी, गुड्डी देवी से वादीगण ने अपना 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हिस्सा देने हेतु वादीगण को कहते रह परन्तु राजस्व रिकार्ड में नही करवाया। वादी इन्द्रसेन को प्रतिवादीगण पर शक होने पर लोक अदालत से पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पता चला कि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने श्रीमती प्रेमा देवी के जीवनकाल में ही प्रेमा देवी, विमला देवी, गुड्डी देवी से दस्तबरदारी करवाकर 6/7 हिस्सा का अंकन राजस्व अभिलेख में करवा लिया है। श्री औमप्रकाश का 1/7 हिस्सा दर्ज है जो वादीगण ने दिनांक 20.08.2015 को दर्ज करवाया हैं। इस भूमि में प्रेमा देवी बेवा नारायण गिर, विमला देवी, गुड्डी देवी पुत्रियां नारायण गिर प्रत्येक का बतौर सह खातेदार सह काश्तकार संयुक्त खाते में 1/7 हिस्सा था इनको किसी एक वारिस को छोड़कर अन्य वारिसान के पक्ष में दस्तबरदारी करवाने का कानूनन हक नही था। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धोखा में रखकर विधि विरूद्ध दस्तावेज के आधार पर हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ली है। यह दस्तावेज हम वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है। कानूनन ऐसी दस्तबरदारी से सभी वारिसान को बराबर हक प्राप्त होता हे। वादीगण का प्रश्गनत भूमि में 1/4 हिस्सा का हक बनता है। विचारण न्यायालय का आदेशविधि सम्मत है। अतः उक्त दोनों अपीलें खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनें के समर्थन में 2005 आरबीजे पेज 132, 2012 आरआरडी पज 276, 1989 आरआरडी पेज 218, 1993 आरआरडी पेज 246, 1990 आरआरडी पेज 425, 2014 आरआरडी पेज 509 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपीलों का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण दोनों प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किया जाता है। दोनों अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती हैं। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है।

11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। नारायण गिर की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि उसके वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई है। इसलिए प्रेमा देवी, गुड्डी देवी, विमला देवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा किया गया हक त्याग सभी वारिसान के पक्ष में किया गया माना जायेगा। कानूनन किसी एक सह खातेदार द्वारा अपना हक त्याग किया जाता है तो उसके द्वारा त्याग किया गया हिस्सा सभी सह खातेदारों के पक्ष में जाता है। किसी एक पक्ष को छोड़ा नही जाता है। हक त्याग करने के कारण वादीगण का 1/4 हिस्सा का हक बनता है जिसे वादीगण गोमती देवी आदि प्राप्त करने के हकदार हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में प्रतिवादी पत्र को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया है। इस कारण प्रतिवादीगण का दावा व प्रतिवाद पत्र. नो ऐवीडेंस केस होने के कारण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है जबकि वादीगण गोमती वगैरा ने दस्तावेज प्रदर्श 1 से 17 तक में औमप्रकाश पुत्र नारायण गिर होना साबित किया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय में प्रस्तुत निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2002 जो कि प्रदर्श–5 है से यह साबित है कि यह निर्णय अन्तिम हो चुका है, जिसकी कोई अपील नहीं की गई। अपीलांट ने यह साबित नहीं किया है कि औमप्रकाश को अपने नाना से कोई पैतृक सम्पति प्राप्त हुई है एवं न्यायिक सिद्धान्त के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने पैतृक सम्पति में हिस्सेदारी से महरूम नहीं किया जा सकता है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय से कोई डिक्री पारित ना हो। अपीलाण्ट ने दोनों अपीलों में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित हो। अतः उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2022 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

(1) अपील संख्या 370/2022

आरसीएमएस नं. 2022/370

1. राजाराम पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. दलीप कुमार पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. महावीर पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. ओमती देवी पतनी औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
2. विनोद पुत्र औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रसेन पुत्र ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. पुष्पादेवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. संतोष देवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. कमलादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

—— प्रत्यर्थीगण

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2022
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा।
अनवान गोमती देवी आदि बनाम राजाराम आदि प्र0 सं0 170/2015

(2) अपील संख्या 374/2022
आरसीएमएस नं. 2022/374

1. महावीर पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजाराम पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. दलीप कुमार पुत्र नारायण गिर जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मूली उर्फ गोमती देवी पत्नी औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
2. विनोद पुत्र औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रसेन पुत्र ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. पुष्पादेवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. संतोष देवी पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. कमलादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति गुंसाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

—— प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2022

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा।

अन्तवान महावीर आदि बनाम मूली उर्फ गोमती देवी आदि प्र0 सं0 175/2015

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री प्रद्युमन सिंह परमार अभिभाषक अपीलार्थी, श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4 ता 7 की ओर से बहस समायत की जाकर दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2022 यथावत रखा जाता है। डिक्री आज दिनांक 26.5.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

26/5/23

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ